कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांकः बेसिक/मान्यता/जनसूचना/ 8720 /2021–22 दिनांक 22-3-2022

सेवा में,

श्री मंगल सिंह (प्रबन्धक)
एन0आर0 ग्लोबल स्कूल
ग्राम–अटटा, विकास क्षेत्र–बी0बी0 नगर, बुलन्दशहर।

विषयः– जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनसूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपने अपने जनसूचना पत्र दिनांक 16.03.2022 के द्वारा एन0आर0 ग्लोबल स्कूल ग्राम–अटटा, विकास क्षेत्र–बी0बी0 नगर, बुलन्दशहर को वर्ष 2015 में कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक की 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 03 वर्ष की अवधि के उपरान्त, विद्यालय की मान्यता को स्थायी कराया जाना आवश्यक है अथवा नहीं, की जानकारी चाही है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि एन0आर0 ग्लोबल स्कूल ग्राम–अटटा, विकास क्षेत्र–बी0बी0 नगर, बुलन्दशहर को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्याः शि0स0/मान्यता/849–51/2019–20 दिनांक 30.04.2019 के द्वारा 03 वर्ष की अवधि हेतु मान्यता प्रदान की गयी थी। शासनादेश संख्याः 419–79–6–2013–18(20) /91 शिक्षा अनुभाग–06 दिनांक 08.05.2013 लखनऊ के पृष्ठ संख्या 12 के बिन्दु संख्या 15 में स्पष्ट है कि **<u>"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है"</u>**।

कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें।

(अखण्ड प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।